

परिषद के मुख्यालय
दिनांक 13-12-78
उम्प० जीवास सर्व
बैठक बैठक की कार्य-वृत्त।

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर
जो 10-30 बजे पूर्वाह्नि हुई
विकास परिषद की वर्ष 1978 की

(47)

उचित
=====

(1)	श्री बीजेठोडायजी	अधिकारी
(2)	श्री स०पौ०सिंह	आदास आयुक्त
(3)	श्री श्रीमुखन नारायण सिंह	सलवोकेट
(4)	श्री राम जौतार दीजित	सदस्य विधान परिषद
(5)	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	संघकां सचिव, वित्त विभाग सदस्य
(6)	श्री जै०पौ०दुबे	मुख्य नगर दर्बं ग्राम नियोजक सदस्य
(7)	श्री मोहर सिंह	संघकां सचिव, स्थायित्वशासन सदस्य विभाग
(8)	श्री हनु प्रकाश रेण	प्रशासक नगर महापालिका, सदस्य लखनऊ।

इसमें विषय संख्या तात्पर्य संख्या निपटि

(1)	दिनांक 16-9-78 की हई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	VI/(1)/78	परिषद की दिनांक 16-9-78 को हई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
(2)	परिषद की बैठक दिनांक 16-9-78 के कार्यवृत्त की जनुपालन आव्याचन।	VI/(2)/78	परिषद द्वारा दिनांक 16-9-78 को हई बैठक के कार्यवृत्त की जनुपालन आव्याचन आवलोकन किया।
(3)	दूसरे रोड भूमि विकास दर्बं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद।	VI/(3)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने जनरोप किया जाय कि योजना बोर्ड में किसी समिति अथवा व्यक्ति का ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जाय।
(4)	नेंदो भूमि विकास दर्बं गृहस्थान योजना इलाहाबाद की धारा-28 के अधीन परिषद की स्वीकृति द्वारा करने हेतु प्रस्ताव दर्बं प्राप्तता।	VI/(4)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(5)	बेतियाहाता (पश्चिमी) पूनि विकास दर्बं गृहस्थान योजना, गोरखपुर।	VI/(5)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(6)	बेतियाहाता (पूर्वी) भूमि विकास दर्बं गृहस्थान योजना, गोरखपुर।	VI/(6)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

[Signature]

- (7) दोमरौली भूमि विकास स्वर्ग गृहस्थान योजना, मिर्जापुर की धारा 28 के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने द्वारा प्रस्ताव स्वर्ग प्राप्त किया गया। VI/(7)/78
- (8) राबली रोह पर भूमि विकास स्वर्ग गृहस्थान योजना। विजिनीर। VI/(8)/78
- (9) रामपुर भूमि विकास स्वर्ग गृहस्थान योजना सं0-4 की धारा -28 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वर्ग प्राप्त किया गया। VI/(9)/78
- (10) रामपुर भूमि विकास स्वर्ग गृहस्थान योजना सं0-3 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वर्ग प्राप्त किया गया। VI/(10)/78
- (11) राम सागर विश्व नगर विकास योजना, फेजाबाद रोह, लखनऊ। VI/(11)/78
- (12) एरानी गुलावठी मार्ग पर जिलाधीश निवास के स्माय भूमि विकास स्वर्ग गृहस्थान योजना सं0-1 बुलन्दशहर की धारा 28 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वर्ग प्राप्त किया गया। VI/(12)/78
- (13) ऐतपुरा योजना जोन-2, लाटौर्खोड़ी के अन्तर्गत माथों सस्कृत पाठ्याला दूसरे के पक्ष में भूमि का हस्तान्तरण। VI/(13)/78
- (14) परिषद की तालिकटोरा योजना, लखनऊ में स्पष्टिक ग्राम दरवापुर सह चफरपर में भारतीय वाद्य निर्गम का 01708 सह भूमि का हस्तान्तरण। VI/(14)/78
- (15) कोलो भूमि विकास स्वर्ग गृहस्थान योजना, इस्ताहबाद में खित श्री मिठाई लाल, इस्ताहबाद के भवन के सहर्व में। VI/(15)/78

परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि minimal infrastructure उपलब्ध करने का प्रयास किया जाय ताकि विकसित भूमि का मूल्य 70-75 लाख प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो।

परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अग्रिम कार्य बाही बानुन के अनुसार की जाय।

परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर यह राय व्यक्त की गयी कि इस बात का परीक्षण आवश्यक है कि क्या दूसरे भवन निर्माण कराने की स्थिति में है अथवा नहीं और भूमि दूसरे को क्यों दिया जाय।

परिषद द्वारा निर्मांजित सदस्यों की समिति इस सम्बन्ध में गठित की गयी :-

- (1) संयुक्त संविव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग।
 - (2) मध्य नगर सर्व ग्राम नियोजक
 - (3) श्री राम जोतीर दीशित, सम०स्ल०स०
 - (4) आवास जायुक्त।
- समिति द्वारा प्रस्ताव के विभिन्न पर्षुओं पर विचार उपरान्त परिषद को अगली बठक के लिये संस्कृति प्रस्तुत की जायेगी।

परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

परिषद द्वारा इस विषय पर निर्मांजित सदस्यों की समिति गठित की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त अपनी रिपोर्ट परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत की जाय।

1	2	3	4
(16)	परिषद के बुलन्दशहर VI / (16)/78 मार्ग पर भूमि विकास सर्व गृहध्यान योजना सं०। शाहुड में समाविष्ट बस्ता नं० 1416 के तीन लिखीं केव्र में स्थित कब्रिस्तान को अर्जन से मुक्त करने के सबै। मैं।	(1) मुख्य नगर सर्व ग्राम नियोजक (2) आवास आयुक्त (3) श्री टी०स०सिंह, सदस्य परिषद	परिषद व्यारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
(17)	आवास परिषद को VI / (17)/78 देहरादून रोड भूमि विकास सर्व गृहध्यान योजना, शहुडी में समाविष्ट बस्ता नं० 1171 से 1178 तक जो अर्जन से मुक्त करने के संबंध में।	आवास आयुक्त के इस विधय पर खल का निरोक्षण करके अन्तिम निष्पत्ति लेने के लिये अधिकृत किया गया। आवास आयुक्त निष्पत्ति से शासन को भी सूचित कर दें।	
(18)	एम लगार मिश्र नगर VI / (18)/78 योजना, लखनऊ के सेक्टर-7 में वर्ष 1977-78 के तेरहवें शासन इण्ड के अन्तर्गत बनाये जाने वाले, स्ट०स०/75 के 73 घटनों की प्रशासनिक सर्व तित्तीय खोल्दित के संबंध में।	परिषद व्यारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।	
(19)	लालत नगर गृहध्यान VI / (19)/78 योजना, मुरादाबाद में 20 अर्थ आव वर्ग तथा 100 दर्जे आव वर्ग के भूमियों के निर्माण के संबंध	परिषद व्यारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।	
(20)	घटवासन योजना जागरा VI / (20)/78 गो भूमि में से जागरा वाली योजपोटिव हाउसिंग सोसायटी को भूमि वर्जन से मुक्त करने हेतु एक सोसायटी से लिये जाने वाले विकास व्यव की धनराशि का निर्धारण।	परिषद व्यारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।	
(21)	पायबरीलो में पुनः VI / (21)/78 उपर्युक्त योजने के संबंध में।	परिषद व्यारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। लाल ही वह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त की स्थापना अतिरिक्त भूमि जो बज़ा मिलने के बाद ही की जाय।	
(22)	आवास सर्व विकास VI / (22)/78 परिषद में वैतनक्रम 1250-1600 में ताविशासी अधिकता के सेलेक्शन प्रैछ का संज्ञन।	परिषद व्यारा यह आजांशा की यह कि उक्त प्रस्ताव का शासन के प्रतिनियुक्ति भला देने के लावेश के पृष्ठ भूमि में पुनः परीक्षण किया जाय तथा परिषद की जगली बैठक में इसे प्रस्तृत किया जाय।	

1

2

3

4

- (23) मुख्यतय पर एक पद VI/(23)/78 परिषद व्यारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
इलेट्रोसिधन वैकामान
रु 170-2-184 द० रु ०
३-205-३०००-४-२२५
में स्वीकृति किया जाना ।
- (24) ग्रामपंचान्मार्गों के सेलेशन VI/(24)/78 परिषद के सम्बन्ध में ।
- (25) परिषद के मुख्यतय VI/(25)/78
ने ग्रामपंचान्मार्ग में वाकासिक
भवन बनाने के सर्वोच्च में ।
- (26) " उत्तर प्रदेश आवास VI/(26)/78
सर्व विकास परिषद
एलिशन फार दी ग्रान्ट
लॉन लाउस बिलिंग
सहवास ट दि इमलाईचु
धार्क दि परिषद, 1973 ।
- (27) परिषद के वार्ष-जलायी VI/(27)/78
के सम्बन्ध में टिप्पणी ।
- (28) परिषद व्यारा गठित VI/(28)/78
नायन्त्रित भवन समिति की
टिप्पोटी ।
- (29) उत्तर शहर रोड सर्व VI/(29)/78
शिलारुर रोड के
गोच में टीडा गाँव के
प्रश्नों पर्छों की भूमि
पर बोजना सं०-२
बलनदशहर की धारा-२८
के नायन्त्रित प्रस्ताव सर्व
प्राप्तिन ।
- (30) परिषद क्षात्र झाड व्यारा VI/(30)/78
संह सर्वसेज़ योजना
घास बनाने के बारे में ।
- (31) मिहिटी, नेटोनमेन्ट में VI/(31)/78
भेना की भूमि के ऊर
परिषद क्षात्र विअसित
योजनाओं में सहका कार्यालयों
के लिए भूमि/भूमि हों के
आवश्यक के सम्बन्ध में ।
- (32) मेरठ को गढ़पोठ योजना VI/(32)/78
के ऊर्जागति सम्बन्ध में
(1166 टहाप) भवन
सम्पा गो-३९ श्री रोहिताश
ज्ञानार गोवल, मृदुहलाखुक
के पश्च में पराने महा वर
जावीटि किया जाना ।

आशुलिंगिकों द्वारा सेलेशन प्रैद दिये जाने के लिये सेवा जबर्दस्त की हो इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए । सेलेशन प्रैद दिये जाने हेतु विनियम क्षेत्रों में का आलेख भी प्रस्तुत किया जाय ।

परिषद व्यारा विचारोपरान्त यह जारीका की गयी कि सर्व प्रथम इस बात का परोक्षण किया जाय कि उ०प्र० आवास सर्व विकास परिषद के नये कायालिय तथा परिषद के अन्य कायालिय के लिये कोई बद्दा भवन उपलब्ध है अद्यावा नहीं और उसका प्रस्ताव परिषद की बगलों बैठक में रखा जाय ।

इस विषय का और अधिक परोक्षण करने हेतु निम्नान्ति उप समिति जा गठन किया गया :-
(1). संघका सचिव, उ०प्र० आवास, स्थायत्त शासन,
विभाग ।
(2) सचिव, उ०प्र० आवास सर्व विकास परिषद ।

समय अभाव के कारण इस विषय पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया ।


समय अभाव के कारण इस विषय पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया ।

परिषद व्यारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

परिषद व्यारा इस प्रस्ताव को सिद्धान्त सम से स्वीकार किया गया । आवास आयुक्त को जग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया ।

परिषद व्यारा इस प्रस्ताव को सिद्धान्त सम से स्वीकार किया गया । आवास आयुक्त को जग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया ।

समय अभाव के कारण उक्त विषय पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया ।

	2	3	4
(33)	मेरठ की गढ़ीड़ योजना सौभाग्य-2 द्रास्पोट नाम के अन्तर्गत ट्रॉक पार्किंग येज तथा बुकिंग सेवाओं का लोज़ेरेन्ट को धटाने के सम्बन्ध में।	VI / (33) / 78	समय अभाव के लाएँ उक्त विषय पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया।
(34)	समस्ति प्रश्नाओं की कार्य पद्धति एवं लेहा दुष्प्राप्ति में उम्मीद हेतु इटकों की कुल्लूसी सविसेज़ के सम्बन्ध	VI / (34) / 78	समय अभाव के लाएँ उक्त विषय पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया।
(35)	कानपुर नगर में परिषद की योजनाओं के संचालन हेतु सक द्वारा की स्थापना।	VI / (35) / 78	परिषद ब्यारा नियमांकित संशोधन के साथ उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। (1) दफ्तरों का पद स्वीकृत नहीं किया गया। (2) एक ऐम्जेलेहर बार क्रम करके आगरा मेज दी जाध तथा आगरा से कानपुर के लिये वर्तमान जोप स्थानान्तरित कर दी जाय।
(36)	दैनिक भूस्तों के सम्बन्ध में।	VI / (36) / 78	समय अभाव के लाएँ उक्त विषय पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया।
(37)	प्रतिनिधित्व पर आये व्याधिकारीयों/वर्मीजारीयों को प्रतिनिधित्व भूस्तों स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	VI / (37) / 78	परिषद ब्यारा यह निष्प्रिय लिया गया कि शासकीय लाइंसेन्सार वार्डवारी की जाय।
(38)	द्वितीय घृत मेरठ के अन्तर्गत विदेश संचार सेवा देहरादून तथा बीएस०इ०स्ल०बोजना इनिव्वार का सामान्य संचालन।	VI / (38) / 78	परिषद ब्यारा उक्त विषय के परोक्षण। हेतु नियमांकित सदस्यों को समिति गठित की गयी। (1) संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन, वित्त विभा (2) मुख्य नगर सचिव ग्राम निवोजक। (3) श्री टी०स्न०सिंह, सदस्य परिषद। (4) जावास जायुक्त।
			परिषद ब्यारा यह आकौशा दो गयो कि उक्त समिति सक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। परिषद ब्यारा यह भी निष्प्रिय लिया गया कि दुर्नियांकित/नियुक्ति सम्बन्धी इस प्रकार के अन्य ब्रैस्टारों पर भी उक्त समिति स्वारा विचार किया जाय और दुर्नियांकित का लारणी पर स्वतः सम्बन्धित रखी जाय।
			 <u>अध्यक्ष</u> 6.1.79